## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः–** ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना :–** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
**प्र0सू0रि0संख्या** ....187/22.......... **दिनांक** 17/05/2022
2. (A) **'अधिनियम**–पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें**–7,7ए पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम** – भा0द0सं0.......................**'धारायें** – ............120बी ............................
(C) **'अधिनियम**..............................................**'धारायें**..........................................................
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**..........................................................................................
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**.......344...............**समय**...........5:30pm.
(ब) **अपराध घटने का दिन :–** शुक्रवार **दिनांक :–01.04.22 व दिनांक 06.04.22**
**समय :–––––**
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 01.04.22 समय** :11.30 ए.एम
4. **सूचना की किस्म लिखित / मौखिक –**लिखित (हस्तलिखित)
5. **घटना स्थलः–इटावा**
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–** बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 80 कि.मी.
(ब) **पता** :– आरोपिया अनिता मीणा का इटावा स्थित मकान एवं कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा।
**जरायम देही संख्या**......................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
**पुलिस थाना** – इटावा **जिला** – कोटा ग्रामीण
6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :–**
(अ) **नामः–** श्रीमती पदमावती गोयल
(ब) **पिता / पति का नाम** – श्री नन्दकिशोर गोयल
(स) **जन्म तिथी / उम्र** :– 44 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता :–** भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**...............................................................**जारी होने की तिथी**.......
**जारी होने की जगह**.........................................................................................
(र) **व्यवसाय–** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र जोरावरपुरा तह. पीपल्दा, कोटा
(ल) **पता** – निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ग्रामीण।
7. **ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
   1. श्रीमती इन्दु अटल पत्नि श्री अभिमन्यु सिहं उम्र 52 साल निवासी 3 जी 18 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा हाल महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा जिला कोटा ।
   2. श्रीमती अनिता मीणा पत्नि श्री प्रमोद कुमार मीणा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी मकान नम्बर 22 मीणा बस्ती भवानीपुरा थाना इटावा जिला कोटा ग्रामीण हाल आंगनबाडी कार्यकर्ता, आगंनबाडी केन्द्र भवानीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
   3. श्री महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा जिला कोटा प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)।
8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**.............................. शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.** :– 4800 / – रूपये ..........................................
11. **पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**....................................................................
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.03.2022 को समय 2.40 पी.एम. पर श्री धर्मवीर सिंह पुलिस उप अधीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा को ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर से सूचना मिली कि श्रीमती पदमावती गोयल आगंनबाडी कार्यकर्ता निवासी जोरावरपुरा की है जिसके मोबाईल नं0 9521265362 है। जिससे उसकी आगंनबाडी सुपरवाईजर इन्दु अटल उसके दलाल आगंनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती अनिता मीणा के मार्फत उसके खाते में आये पोषाहार के पैसे की राशि का 15 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग कर रही है। सूचना रिश्वत मांग से सम्बधित होने से

सूचना के सत्यापन हेतु श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 01.04.2022 समय 8.00 एएम पर श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से उसके उक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया तो उसके द्वारा अपने गांव के बाहर गोपनीय स्थान बताते हुए मिलने हेतु कहा तत्पश्चात निर्देशानुसार श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक मय श्री लालचन्द कानि0 30 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री घनश्याम चालक कानि0 609 मय रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप प्रिन्टर के कार्यालय एसीबी चौकी एस.यू कोटा से गोपनीय कार्यवाही हेतु गोपनीय स्थान के लिए रवाना होकर समय 10.30 ए.एम. पर मय टीम के ग्राम जोरावरपुरा में गोपनीय स्थान पर पहुंचीं जहां पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल उपस्थित मिली। श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक ने स्वंय व जाप्ता का परिचय परिवादिया को दिया, इस पर परिवादिया ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस निरीक्षक को इस आशय का पेश किया कि – मै गांव जोरावरपुरा में आंगनबाडी कार्यकर्ता हुँ। मेरे खाते में टी.एच.आर.(पोषाहार) के 3–4 महिने के बिल राशि 32000/– हजार रूपये आये थे। हमारी सुपरवाईजर इन्दु मैडम हमारी कार्यकर्ता अनिता मीणा के मार्फत 15 प्रतिशत रूपये मांग रही है मेरे अलावा 20 कार्यकर्ता से भी कुल राशि का 15 प्रतिशत रूपये मांग रही है। मैं इन्दु मैम सुपर वाईजर को पोषाहार के आये पैसो में से रिश्वत राशि नही देना चाहती हूं और उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहती हूँ। मेरी अनिता मीणा कार्यकर्ता व इन्दु मैम से कोई रंजिश नही है कार्यवाही करें। श्रीमती पदमावती गोयल पत्नि श्री नन्दकिशोर जाति महाजन उम्र 44 साल निवासी जोरावरपुरा थाना इटावा जिला कोटा हाल आंगनबाडी कार्यकर्ता ,आगनबाडी केन्द्र जोरावरपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पुलिस निरीक्षक द्वारा अवलोकन कर परिवादिया से दरियाप्त किया तो परिवादिया ने बताया कि " कि मैं गांव जोरावरपुरा में आंगनबाडी कार्यकर्ता हूं । वर्ष 2019–2020 कोरोना काल से पूर्व के पोषाहार के बकाया चल रहे तीन चार महिने के पैण्डिग बिलो की राशि करीब 32,000 रुपये मेरे खाते में आये है। मेरे अलावा और भी 15–20 आगंनबाडी कार्यकर्ताओ के खाते में कोरोना काल से पूर्व के पोषाहार के बकाया बिलो के पैसे आये है। हमारी सुपुरवाईजर इन्दु अटल मैडम आंगनबाडी कार्यकर्ता अनिता मीणा के मार्फत मेरे खाते में आयी बिल राशि 32000 रूपये के 15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रही है। मेरे अलावा अन्य करीब 20 कार्यकर्ताओं से भी उनके खाते में आयी पोषाहार के बिलों की कुल राशि का 15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रही है। मैं इन्दु मैम सुपरवाईजर को पोषाहार के आये पैसों में से रिश्वत राशि नही देना चाहती हूं और उनको रिश्वत लेते हुये रगें हाथो पकडवाना चाहती हूं। मेरी अनिता मीणा कार्यकर्ता व इन्दु मैम से कोई रंजिश नही है तथा उक्त दोनो से मेरा कोई पुराना लेनदेन भी बकाया नही है। उक्त दोनो ने रिश्वत के लिए हमे परेशान कर रखा है। इन्दु मैम आये दिन हम आगंनबाडी कार्यकर्ताओ को नोकरी से निकालने की धमकी देती है तथा नौकरी से नही निकालने व परेशान नही करने की एवज में रिश्वत मांग रही हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व परिवादिया द्वारा दरयाप्त पर बताये हालात से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का होना पाया जाने से एवं रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से सत्यापन बाबत् परिवादिया से कहा गया तो परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल ने बताया कि अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता 12 बजे बाद इटावा उसके घर पर मिलेगी, जिससे मैं आज ही इटावा जाकर बात करूंगी। अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता हमारी सुपरवाईजर इन्दु मैडम के लिये रिश्वत राशि की मांग करेगी। मै अनिता मीणा से आज ही उसके घर पर जाकर रिश्वत मांग संबंधी वार्ता कर लूंगी। इस सम्बन्ध में श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक द्वारा जर्ये टेलीफोन उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। निर्देशानुसार समय 12.05 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल का श्री लालचन्द कानि. 30 से पुनः परिचय करवाया तथा परिवादिया को एक सरकारी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर सोनी कम्पनी का रूबरू गवाहान मुन्दर्जा फर्द सुपुर्द कर टेप रिकार्डर को चालू व बन्द करने का तरीका भली भांति समझाया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर पृथक से मूर्तिब की गई। परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल को आरोपिया अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता से रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने की हिदायत की जाकर श्री लालचन्द कानि को निगरानी हेतु परिवादिया के हमराह रवाना किया गया।

दिनांक 01.04.2022 को समय 2.00 पी.एम. पर श्री लालचन्द कानि0 30 मय परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के गोपनीय स्थान जोरावरपुरा उपस्थित आये तथा परिवादिया ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर पुलिस निरीक्षक को पेश कर मौखिक बताया कि हम यहां से रवाना होकर आगनबाडी कार्यकर्ता अनिता मीणा के इटावा में स्थित निवास पर पहुंचे। मैं अनिता मीणा के घर के अन्दर चली गई तथा मेरे साथ गये लालचन्द

जी घर के बाहर ही रह गये थे। मैनें घर के अन्दर जाने से पहले डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर लिया था। अनिता मीणा के घर पर मेरी आगनबाडी कार्यकर्ता अनिता मीणा से बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि इन्दु मैडम मेरे (पदमावती) खाते में आई पोषाहार की राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांग की व कहा कि इन्दु मैडम ने मुझसे सबके पैसे उगाकर देने हेतु कहा है, मैने कहा कि कितने पर्सेन्ट देने है तो अनिता मीणा ने कहा कि 20 पर्सेन्ट मैने अनिता से कहा कि बीस परसेन्ट काफी हो जाते है मै गरीब हूँ, मेरे दोनो लडकियो की शादी है थोडा कम करवा लो मैडम से, तो अनिता मीणा ने दस पर्सेन्ट रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति देते हुये कहा कि कोई अन्य के पास बात नही जानी चाहिए, आप से स्वीकार कर लूंगी अगर बात चली गयी तो मै पूरे ही लूंगी। फिर सोमवार को पैसे देने हेतु कहा तो मैने उससे 4–5 दिन का समय मांगा फिर उसने मंगलवार तक देने हेतु कहा, मेरे बार बार निवेदन करने पर वह अगले शुक्रवार के लिए मान गयी है व कहा है कि शुक्रवार से शनिवार नही होना चाहिए मै कह दूंगी मैडम से नही दिये तो तू जाने व मैडम जाने, इस प्रकार मेरे खाते में आई पोषाहार के बकाया पुराने बिलों की राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की, मेरे निवेदन करने पर 10 प्रतिशत रिश्वत लेने पर तैयार हुई है। वार्ता होने के बाद मैनें अनिता मीणा के निवास से बाहर आकर टेप रिकार्डर को बन्द कर लिया था। हमारे बीच जो वार्ता हुई हैं वो मैने इसमे रिकॉर्ड कर ली हैं। परिवादिया द्वारा बताये हालातो की श्री लालचन्द कानि द्वारा भी पुष्टि की। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादिया द्वारा बताये हालातो की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉइस रिकार्डर मूर्तिब कर डिजिटल वॉइस रिकार्डर को पु0नि0 ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादिया को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रुखसत किया गया।

दिनांक 01.04.2022 समय 7.15 पी0एम0 पर पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही के पश्चात बाद दीगर कार्यवाही के इटावा से रवाना होकर कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुचीं, डिजिटल वाईस रिकार्डर जमा मालखाना किया। परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस मय रनिगं नोट के श्री धर्मवीर सिंह उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं कार्यवाही पुलिस में परिवादिया द्वारा दरियाप्त पर बताये गये हालातो से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने पर उप अधीक्षक द्वारा परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस व रनिंग नोट के अंग्रिम कार्यवाही हेतु मन रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना मय कार्यवाही पुलिस मय रनिंग नोट के प्राप्त कर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली के अवलोकन से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया गया।

दिनांक 02.04.2022 समय 11.00 ए.एम पर श्री रामगोपाल हैड कानि 108 मालखाना प्रभारी से मालखाना में जमा डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमे उक्त प्रकरण से सम्बधित सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को मालखाना से निकलवाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो उसमे परिवादिया श्रीमती पदमावती गायेल व आरोपिया अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता के मध्य हुई वार्ता रिकार्ड है जिसमें अनिता मीणा द्वारा परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से इन्दु मैडम के कहेनुसार परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल के खाते में आई पोषाहार की राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांग करना, अनिता मीणा द्वारा इन्दु मैडम के कहेनुसार सबसे पैसे उगाकर देने हेतु कहना, परिवादिया द्वारा बीस प्रतिशत ज्यादा होने की कहने एवं अपने आप को गरीब होना, व दोनो लडकियो की शादी होने के कहने एवं थोडा कम करने का निवेदन करने पर अनिता मीणा द्वारा यह कहना कि अन्य के पास बात नही जानी चाहिए, आप से स्वीकार कर लूंगी अगर बात चली गयी तो मै रोटी खा रही हूं पूरे ही लूंगी कहना, अनिता मीणा द्वारा सोमवार को ही मैडम द्वारा पैसे लेने हेतु कहना, परिवादिया के बार बार निवेदन करने पर अनिता मीणा द्वारा अगले शुक्रवार तक पैसे लेने हेतु सहमत होना सत्यापन वार्ता के सुनने से स्पष्ट है अर्थात अनिता मीणा द्वारा परिवादिया से उसकी बिल राशि की बीस प्रतिशत रिश्वत राशि मांग कर परिवादिया के निवेदन पर 10 प्रतिशत रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया गया।

दिनांक 04.04.2022 समय 05:08 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल ने जर्ये दुरभाष बताया कि अनिता मीणा से आज मेरी दुबारा बात हुई है उसने मुझसे कल पैसे देने के लिए कहा है। परिवादिया के बताये अनुसार दिनांक 05.04.2022 को ट्रेप कार्यावाही का आयोजन किया जाना प्रस्तावित होने से दिनांक 05.04.2022 समय 10:00 एएम पर श्री बबलेश कानि 261 को अधीक्षक एम.बी.एस. कोटा के नाम तहरीर दी जाकर दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिए रवाना किया गया। समय 10:30 एएम पर श्री बबलेश कानि 261 एम.बी.एस. कोटा से मय दो स्वतंत्र

गवाह श्री रवीश कनिष्ठ लिपिक व श्री कुजंबिहारी मैल नर्स द्वितिय के वापस कार्यालय आया। गवाहान को ट्रेप कार्यवाही गवाह बनने की सहमति हेतु परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया, दोनो गवाहान ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर गवाह बनने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 05.04.2022 को समय 12:40 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री किशन लाल उ.नि, श्री लालचन्द कानि. 30, श्री भरत सिंह कानि 515, श्रीमती सुमन म.कानि 410, श्री करण सिंह वरिष्ठ लिपिक, स्वंतत्र गवाह रविश, कुजंबिहारी मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर के हमराह ट्रेप कार्यवाही हेतु इटावा रवाना हुआ। ट्रेप कार्यवाही के संबध में टीम को अवगत करवाया गया। परिवादिया को इटावा खातोली बाईपास पर गोपनीय स्थान निश्चित कर गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु जर्ये दुरभाष अवगत करवाया गया। समय 02:25 पीएम पर मन् पु0नि0 मय हमराह जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के इटावा गोपनीय स्थान पर पहुंचा। परिवादिया से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल ने स्वयं को आस पास ही होना बताते हुये शीघ्र ही निर्धारित गोपनीय स्थान पर पहुंचने हेतु बताया। समय 02:35 पीएम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल निर्धारित गोपनीय स्थान इटावा खातौली बाईपास पर उपस्थित आई। परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया। समय 03:00 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से वार्ता कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने बताया कि मेरी अनिता मीणा से आज दुबारा बात हुई तो अनिता मीणा ने कहा है कि एक बार तुम इन्दु मैम से बात कर लो, यदि इन्दु मैम तेरे से पैसे ले लेती है तो ठीक है, नही तो तेरे से जो बात हुई वो पैसे मुझे दे देना, इसलिए आज अनिता मीणा मेरे से पैसे नही लेगी। चुकि दिनांक 05.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नही होने से समय 05.20 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बाक्स लेपटोप प्रिंटर के प्राइवेट वाहन से कार्यालय हेतु कोटा रवाना होकर समय 07.35 पी.एम पर कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुचा। ट्रेप बाक्स जमा मालखाना किया। स्वतत्र गवाहान को हिदायत मुनासिब कर रूकसत किया।

दिनांक 05.04.2022 समय 7.40 पी.एम पर श्री लालचन्द कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि इटावा से रास्ते में आते समय करीब 5.45 पी.एम. पर मेंरे मोबाइल पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल का फोन आया था जिसने मुझे बताया था कि मुझे व दलाल महावीर शर्मा निवासी पीपल्दा खुर्द को मेरी सुपरवाइजर इन्दु अटल मेडम ने कल सुबह 11 बजे इटावा कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा मे बुलाया है इन्दु मेम व अन्य दलाल महावीर शर्मा मेरे से कल कार्यालय महिला एंव बाल विकास विभाग इटावा में रिश्वत लेने के संबध मे मांग कर सकते है चूकि परिवादिया को सुपरवाइजर इन्दु अटल द्वारा अन्य दलाल के साथ अपने कार्यालय में दिनांक 06.04.2022 को 11.00 एएम पर बुलाया है। अतः परिवादिया व इन्दु अटल के मध्य होने वाले रिश्वत मांग के संबध मे सत्यापन करवाने हेतु दिनांक 06.04.2022 समय 07..ए..एम पर श्री लालचन्द कानि. 30 दीगर गोपनीय कार्य से इटावा रवाना हो रहा है। अतः श्री लालचन्द कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर समझाईस की गई कि इटावा पहुंचकर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से सम्पर्क करें। परिवादिया को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने करने की विधि पुनः समझाकर सुपुर्द करें तथा परिवादिया व सुपरवाईजर इन्दु अटल एवं दलाल महावीर शर्मा के मध्य होने वाली रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादिया को समझाईस कर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा भिजवाये व आप उक्त तीनों के मध्य होने वाली वार्ताओं को यथा सम्भव निकट रहकर सुनने व देखने का प्रयास करें। वार्ता होने के बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापस परिवादिया से प्राप्त कर मुझ पुलिस निरीक्षक को लाकर पेश करें। समय 05.30 पी.एम पर श्री लालचन्द कानि. 30 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के वापस कार्यालय आया। श्री लालचन्द कानि. द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर इटावा पहुंचा जहां पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल तलविदा गोपनीय स्थान इटावा आई। इस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने का तरीका बताकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्रीमती पदमावती को दे दिया था। श्रीमती पदमावती डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझसे प्राप्त करके कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा के लिए रवाना हुई। मै भी श्रीमती पदमावती गोयल के पीछे–पीछे कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा के बाहर तक जाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये वही पर खडा हो गया। परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल ऑफिस के अन्दर चली गई कुछ समय बाद श्रीमती पदमावती गोयल ऑफिस से वापस बाहर आई तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर बताया कि ऑफिस में अन्दर दलाल महावीर

शर्मा पहले से ही बैठा हुआ था जिससे मेरी बात हुई जिसने कहा कि सीट पर जो होगा वो लेगा पन्द्रह प्रसेन्ट ले रहे है। मैंने कहा कि मैंने तो पांच की सुनी है तो महावीर ने कहा कि पांच प्रसेन्ट तो ट्रेजरी में ही खर्चा लग जाता है। तुम कह देना कि मैं पन्द्रह प्रसेन्ट देने को तैयार हुं। फिर मैंने मेडम को बुलाने हेतु कहा तो उसने कहा कि बुलाता हुं। फिर उसने इन्दु मेडम को बुलाया। फिर इन्दु मेडम ने मुझसे कहा कि आज के बाद फोन पर मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करी तो तुम्हारे खिलाफ लिख दूगीं और केन्द्र छुडवा दूगीं। फिर अन्य वार्ताए करने के बाद इन्दु मेम ने कहा कि आपका कितना जमा हुआ है। मैं यहां देख लेती हूं उसका पर्सेन्ट निकालकर इनको (महावीर शर्मा) को दे देना आप यह मुझे दे जायेगें। इस पर मैंने कहा कि मेडम मुझे टाईम लगेगा तो इन्दु मेम ने कहा कि निकाल के दो टाईम वाईम कुछ नहीं, निकाल के ले आ अपने घर से दे। इस पर महावीर शर्मा ने कहा कि सही बात है। उसके बाद इन्दु मेम ने पुनः कहा कि ज्यादा दिन नहीं टाईम पे देना और अगर आपकी जबान कहीं भी खुली तो देख लेना, यह बात यहीं तक बन्द हो जानी चाहिये। मैंने इन्दु मेम से शिकायत की कि अनिता मीणा ने मेंरे को बहुत डाटा तो इन्दु मेम ने कहा कि मैं बात करूगीं अनिता जी से, मुझे कल की बात का पता नहीं है लेकिन उसने मेरे को बताया कि मेडम वो शर्मा जी रायता फेला रहे है। फिर मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की व इनको (महावीर शर्मा) को भी बुलाया और आपको भी बुलाया। अब मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है और ना ही फोन करने की जरूरत है। इन्दु अटल मेंम व दलाल महावीर शर्मा व मेरे बीच में रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध में जो भी वार्ता हुई वह इस डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। वार्ता के बाद मैंने ऑफिस से बाहर आकर रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। इस पर मुझ कानि. ने परिवादिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया। तत्पश्चात परिवादिया को आवश्यक समझाईस कर रूखसत किया एवं मैं दीगर राजकार्य के बाद इटावा से रवाना होकर वापस आया हुं। लालचन्द कानि. द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया।मन पुलिस निरीक्षक ने कानि. लालचन्द द्वारा पेश किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल व श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर व अन्य दलाल महावीर शर्मा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो कानि. लालचन्द द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि हुई। सत्यापन वार्ता में श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर व अन्य दलाल महावीर शर्मा द्वारा परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से उसके खाते में आई बकाया बिलों की राशि का पन्द्रह प्रतिशत रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई।

दिनांक 06.04.2022 को समय 7.00 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल ने जरिये दूरभाष बताया कि दलाल महावीर शर्मा ने मेरे से मिलकर कहा है कि इन्दु मेडम ने मुझे ही आपसे कमीशन के पैसे लेने हेतु कहा है, अब तू अनिता मीणा को पैसे मत देना। इस पर मैंने महावीर शर्मा को कहा है कि अभी मैं बच्चियों की शादी की तैयारियों में लगी हुई हुं, दो पांच दिन में बैंक से पैसे निकालकर दे दूगी। इस पर परिवादिया को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने व दलाल महावीर शर्मा या अनिता मीणा द्वारा रिश्वत की मांग करते ही मुझ पुलिस निरीक्षक को जरीये दूरभाष सूचित करने हेतु आवश्यक समझाईस की गई। दिनांक 13.04.2022 को समयः 6.00 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से जरीये दूरभाष वार्ता की गई तो श्रीमती पदमावती गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.04.22 के बाद मेरे से दलाल महावीर शर्मा, दलाल अनिता मीणा व इन्दु अटल मेम सुपरवाईजर द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है वह लोग रिश्वत लेने के सम्बन्ध में ज्यों ही मेरे से सम्पर्क करेगें मैं आपको सूचना कर दूगी। अतः परिवादिया को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु आवश्यक समझाईस की गई।

दिनांक 15.04.2022 को समयः 12.30 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल तथा दो स्वतन्त्र गवाह श्री महावीर गुर्जर क0सहायक एवं श्री केलाश सुमन क0सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा तलविदा उपस्थित कार्यालय एसीबी (एसयू) कोटा आये। जिनकी उपस्थिति में परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल व आरोपीगण इन्दु अटल सुपरवाईजर व दलाल महावीर शर्मा व अनिता मीणा आगंनबाडी कार्यकर्ता के मध्य रिश्वत मांग के सम्बन्ध में हुई वाताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु मालखाना से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया गया। समयः 12.40 पी.एम पर परिवादीया श्रीमती पदमावती गोयल व दलाल श्रीमती अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता के मध्य दिनांक 01.04.22 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसमें अनिता मीणा द्वारा श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। उक्त सत्यापन वार्ता को परिवादीया व स्वतन्त्र गवाहान श्री महावीर गुर्जर व केलाश सुमन के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्ड से कार्यालय के लेपटॉप में श्री बबलेश कानि. 261

से लिवाई जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादिया व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हुबहु फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री बबलेश कानि. 261 द्वारा तैयार करवाई गई। ट्रान्सक्रिप्ट की तैयार शुदा फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः 2.10 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल व दलाल महावीर शर्मा एवं श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर के मध्य दिनांक 06.04.22 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादीया व स्वतन्त्र गवाहान श्री महावीर गुर्जर व केलाश सुमन के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्ड से कार्यालय के लेपटॉप में श्री बबलेश कानि. 261 से लिवाई जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादिया व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हुबहु फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री बबलेश कानि. 261 द्वारा तैयार करवाई गई। ट्रान्सक्रिप्ट की तैयार शुदा फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः 4.30 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल आंगनबाडी कार्यकर्ता ,आगनबाडी केन्द्र जोरावरपुरा ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो एस.यू. कोटा के नाम सबोंधित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को इस आशय का पेश किया कि "मेरे द्वारा दिनांक 01.04.22 को लिखित प्रार्थना पत्र सुपरवाईजर इन्दु मेडम व आगंनबाडी कार्यकर्ता अनिता मीणा द्वारा मेरे खाते में पोषाहार के पुराने बकाया बिलों की राशि का 15 प्रतिशत रिश्वत राशि मांग करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर दिनांक 01.04.22 को ही मेरी अनिता मीणा से इन्दु अटल मेम सुपरवाईजर के लिए रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई थी। उसके बाद दिनांक 06.04.22 को भी मेरी सुपरवाईजर इन्दु अटल मेम एवं अन्य दलाल महावीर शर्मा द्वारा भी मेरे खाते में पोषाहार के बकाया बिलों की जमा हुई राशि का 15 प्रतिशत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी। मेरे से उक्त सभी ने आपसी मिलीभगत कर रिश्वत राशि की मांग की थी लेकिन अब अनिता मेहरा सुपरवाईजर व दलाल महावीर शर्मा को मन्जू राठौड आगंन बाडी कार्यकर्ता से 5000/– रूपये की रिश्वत लेने पर ए.सी.बी.ने कल पकड लिया था। इसलिए अब मेरे से इन्दु अटल मेम सुपरवाईजर व दलाल अनिता मीणा आगंनबाडी कार्यकर्ता रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगीं। लेकिन मैं उक्त तीनेां के विरूद्व कार्यवाही चाहती हु, उक्त तीनों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जावे।" प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। चुकिं ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं होने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं को रूबरू गवाहान श्री महावीर गुर्जर व श्री केलाश सुमन एवं परिवादीया श्रीमती पदमावती गोयल के समक्ष दिनांक 01.04.22 को परिवादीया व दलाल अनिता मीणा के मध्य हुई सत्यापन वार्ता, दिनांक 06. 04.22 को परिवादीया श्रीमती पदमावती, आरोपी श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर व दलाल महावीर शर्मा के मध्य हुई सत्यापन वार्तायें जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। उक्त तीनों वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया जाकर श्री बबलेश कानि .261 के द्वारा छः सी0डी0 में डब्ड करवाया जाकर सभी सी0डी0 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये जिनमें से एक सी0डी0 वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु, द्वितीय सी0डी0 नमूना आवाज के परीक्षण एफ0एस0एल0 से करवाने हेतु, तृतीय, चतुर्थ व पंचम सी0डी0 आरोपीगण के लिए पृथक–पृथक कपडे की पांच थैलियों में रखवाकर सील्डचीट मोहर की गई। कपडों की थैलियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी0डी0अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी हेतु रखी गई। कार्यवाही की फर्द डबिंग सी0डी0 पृथक से मूर्तिब की गई।परिवादीया श्रीमती पदमावती गोयल एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर, कार्यालय महिला एवं बाल विकास इटावा द्वारा अपने अधीन आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं के खातों में आये पुराने पोषाहार के बिलों के पैसों मे से आगंनबाडी कार्यकताओं को परेशान नहीं करने की एवज में 15 प्रतिशत बतौर कमीशन लेने हेतु अपने दलालों से आपसी मिलीभगत कर आगंनबाडी कार्यकर्ताओं से रिश्वत राशि लेने हेतु आगंनबाडी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना, दिनांक 01.04.22 को दलाल श्रीमती अनिता मीणा आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर के लिए परिवादिया श्रीमती पदमावती गोयल से उसके खाते में आई पुराने पोषाहार के बिलों की राशि लगभग 32 हजार रूपये का 20 प्रतिशत बतौर कमीशन रिश्वत की मांग करना, परिवादिया के निवेदन करने पर अनिता मीणा द्वारा बिलों की राशि का 10 प्रतिशत राशि लेने पर सहमत होना, तदुपरान्त दिनांक 06.04.2022 को आरोपिया श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर व दलाल महावीर शर्मा द्वारा परिवादिया को महिला एवं बाल विकास कार्यालय इटावा बुलाकर परिवादिया से उसके खाते में आई पुराने पोषाहार के बिलों की बकाया राशि का 15 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग करना पाया गया किन्तु आरोपीगण को किसी प्रकार का शक हो जाने या कार्यालय महिला एवं बाल विकास इटावा की अन्य महिला

सुपरवाईजर अनिता मेहरा व दलाल के विरूद्व दिनांक 14.04.22 को ट्रेप कार्यवाही हो जाने से आरोपीगण द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपीगण 1. श्रीमती इन्दु अटल हाल महिला सुपरवाईजर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग इटावा 2. श्रीमती अनिता मीणा हाल आंगनबाडी कार्यकर्ता भवानीपुरा पंचायत समिति इटावा (दलाल) 3. श्री महावीर शर्मा, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्व धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्व धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

( रमेशचन्द आर्य )
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, कोटा

# कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेशचन्द आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एव 120बी भा.दं.सं. में अभियुक्तगण 1. श्रीमती इन्दु अटल, महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इटावा, जिला कोटा 2. श्रीमती अनिता मीणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केन्द्र भवानीपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा एवं 3. श्री महावीर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायाण निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 187/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक-: 1650-55 दिनांक 17.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, इटावा जिला कोटा।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

17.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।